भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये | FIFTY RUPEES

रु.50 | Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

दिल्ली DELHI M 243989

PAN-AEEPK5578C

न्यास विलेख

यह न्यास विलेख आज दिनांक [illegible] जुलाई सन् 2008 को राजीव कुमार पुत्र श्री रविन्द्र कुमार, निवासी एफ–160 / 16बी, जगतपुरी, परवाना रोड़, दिल्ली–51, जिसे आगे संस्थापक कहा गया है के द्वारा निष्पादित किया गया

एवम्

श्री विपिन संगल पुत्र श्री मुकेश संगल निवासी – 37, रेल पार, शामली जिला मुजफ्फरनगर, उ0प्र0, इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे।

उपरोक्त अभिव्यक्ति में जब तक प्रसंग के विरूद्ध न हो, उपरोक्त में उनके उत्तराधिकारी और उत्तरजीवी एवम् कानूनी रूप से स्थापित किये गये सभी उत्तराधिकारी शामिल समझे जायेंगे।

Date 07/07/2008

RegNo. 6562

Deed Related Detail

Deed Name TRUST	
Land Detail	
Tehsil/Sub Tehsil Sub Registrar VIII	Area of Building 0
Village/City Jagat Puri	Building Type A
Place (Segment) Jagat Puri	
Property Type Residential	
Area of Property 0.00	0.00

Money Related Detail

Consideration Value 1,100.00 Rupees	Stamp Duty Paid 100.00 Rupees
Value of Registration Fee 3.00 Rupees	Pasting Fee 1.00 Ruppes

This document of TRUST

Presented by: Sh/Smt. S/o, W/o R/o

Rajeev Kumar Ravinder Kumar F-16A/16B Jagatpuri Delhi

in the office of the Sub-Registrar, Delhi this 07/07/2008 day Monday
between the hours of

Registrar/Sub Registrar
Sub Registrar VIII
Delhi/New Delhi

Signature of Presenter

Executed and presented by Shri /Ms. Rajeev Kumar

and Shri / Ms. .

Who is/are identified by Shri/Smt/Km. Vipin Sangal S/o W/o D/o Rakesh Sangal R/o 37 Railpar Shamli U.P.

and Shri/Smt./Km C.P. Srivastav S/o W/o D/o Adv R/o 205 Shastri Nagar Delhi

(Marginal Witness), Witness No. II is known to me.

Contents of the document explained to the parties who understand the conditions and admit them as correct.

Certified that the left (or Right, as the case may be) hand thumb impression of the executant has been affixed in my presence

Registrar/Sub Registrar
Sub Registrar VIII
Delhi/New Delhi

Date 07/07/2008

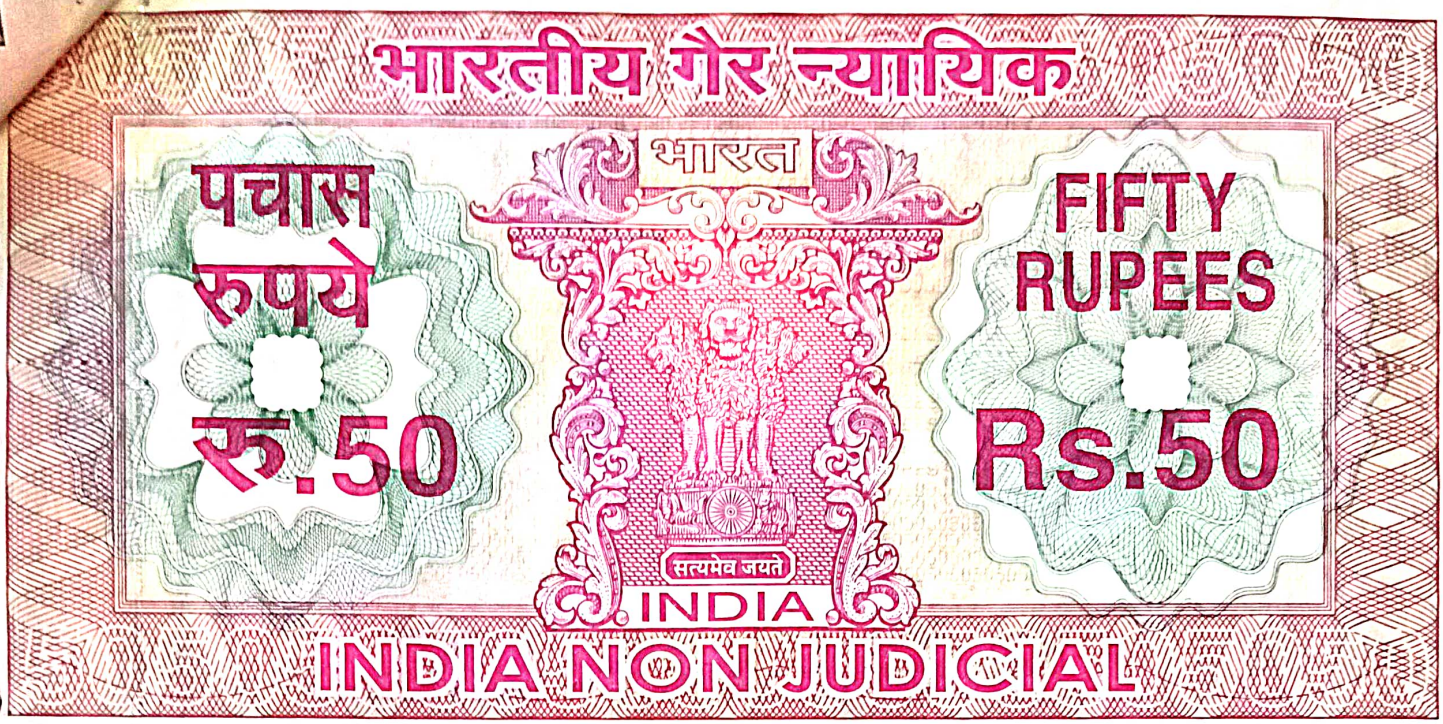

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

दिल्ली DELHI

M 243990

चूंकि संस्थापक पिछले काफी समय से समाज के सामान्य व्यक्तियों के लिये एवम् आर्थिक रूप से कमजोर पिछडे समाज की उन्नति एवम् शिक्षा व चिकित्सा क्षेत्र में सहायता के लिये तथा अन्य धर्मार्थ कार्यों हेतु सुविधायें उपलब्ध कराने का इच्छुक है।

और चूंकि संस्थापक इच्छुक है कि ट्रस्ट उपर दिये गये इन उददेश्यो को पूरा करे और उन सभी कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों जिन्हें ट्रस्ट के सदस्य उचित समझें, क्रियान्वित करें और चूंकि ट्रस्ट के ट्रस्टी ट्रस्ट के उददेश्यों को पूरा करने के लिये सहमत हैं। अतः मैं राजीव गर्ग संस्थापक "श्री बालाजी चैरिटेबल ट्रस्ट" की स्थापना करता हूँ और उपरोक्त उददेश्यों को पूरा करने हेतु प्रारम्भिक रूप से 1100/– (रूपये एक हजार एक सौ मात्र) ट्रस्ट को देता हूँ जिसे ट्रस्टी ट्रस्ट के मुख्य उददेश्यों एवम् अन्य धर्माथ कार्यों के पूर्ण करने के लिये संचित करेंगे।

19146/A 04/07/08 82

S. No. ... Date ...

Name ...

S/o ...

R/o ...

Purpose ... Through ...

RAKESH K.D. [illegible]
No. 299, S.R. VIII, L.M. [illegible]
[illegible] Nagar Delhi-110[illegible]

SEAL OF
REGISTRAR
EAST DELHI

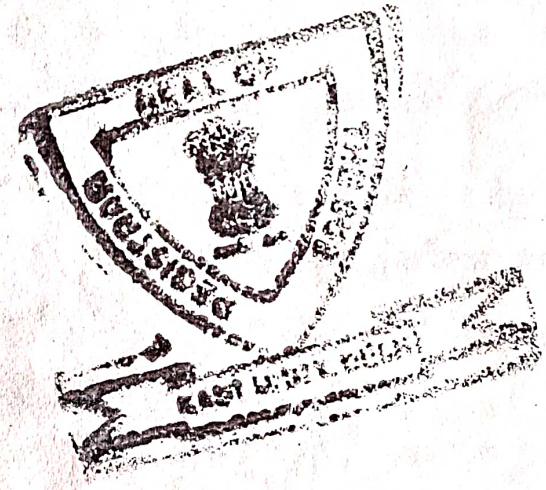

1. नाम

उपरोक्त ट्रस्ट का नाम "श्री बालाजी चैरिटेबल ट्रस्ट" होगा।

2. स्थान

इस ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय एफ–16ए/16बी, जगतपुरी, परवाना रोड़, दिल्ली–51 होगा। इस ट्रस्ट के ट्रस्टी संस्थापक की सहमति से मुख्य कार्यालय या शाखा या इसके अन्तर्गत कोई अन्य संस्थान भारत वर्ष में कहीं भी खोल सकते हैं, अथवा स्थानान्तरित कर सकते हैं।

3. ट्रस्ट के मुख्य उददेश्य

(अ) **इस ट्रस्ट की स्थापना निम्नलिखित उददेश्यों को प्राप्त करने हेतु की गयी है :–**

(1) समाज के आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग, जो चाहे किसी भी जाति या धर्म के हों, विद्यार्थियों को उच्च कोटि की प्राथमिक, माध्यमिक एवम् उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना।

(2) आर्थिक रूप से पिछडे समाज से सम्बन्धित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तकों एवम् पाठ्य सामग्री हेतु सहायता उपलब्ध कराना एवम् उन्हें उच्च शिक्षा हेतु प्रायोजित करना।

(3) समाज के वरिष्ठ नागरिकों की सहायता हेतु वृद्ध आश्रमों की स्थापना करना तथा उन्हें पुर्नवास हेतु सहायता उपलब्ध कराना।

(4) समाज के विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु तकनीकी, चिकित्सा, प्रबन्धन एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा एवम् कम्प्यूटर विज्ञान के शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना एवम् उन्हें सुचारू रूप से चलाना।

(5) उच्च स्तरीय प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं सभी प्रकार के शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना एवम् उन्हें सुचारू रूप से चलाना।

(6) ट्रस्ट द्वारा स्थापित किये गये संस्थानों के लिये अध्यापकों, प्राध्यापकों एवम् विषय विशेष में उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को एवम् व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को ट्रस्ट द्वारा स्थापित किये गये संस्थानों में नियुक्त करना।

(7) समाज को उचित मूल्य पर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सालय, नर्सिंग होम, की स्थापना करना एवम् उन्हें सुचारू रूप से चलाना।

(8) ट्रस्ट के अन्तर्गत चिकित्सा एवम् शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों के आवास की व्यवस्था करना।

(9) ट्रस्ट के उददेश्यों की प्राप्ति हेतु समाज के अन्य व्यक्तियों, संस्थानों, सरकारी एवम् गैर–सरकारी संस्थाओं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों से नकद दान एवम् वस्तु के रूप में सहायता स्वीकार करना।

(10) ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति हेतु खरीद, दान, पट्टे के द्वारा भूमि, भवन अर्जित करना अथवा भवन निर्माण एवम् अन्य स्थायी एवम् अस्थायी सम्पत्तियों का निर्माण करना।

(ब) इस ट्रस्ट की स्थापना धर्मार्थ कार्यों हेतु की गयी है। ट्रस्ट की सभी आय एवम् निधियों एवम् सम्पत्तियों का प्रयोग केवल ट्रस्ट के उददेश्यों के प्राप्ति हेतु ही किया जायेगा। ट्रस्ट की निधियों एवम् सम्पत्तियों का प्रयोग आयकर अधिनियम 1961 की धाराओं एवम् उपबन्धों और उनमें किये गये संशोधनों के अनुसार ही किया जायेगा।

4. <u>ट्रस्ट की निधियां</u>

<u>ट्रस्ट की निधियों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :–</u>

(1) संस्थापक द्वारा दिया गया दान

Secretary

REGISTERED
EAST DIST. DELHI

(2) समाज के अन्य व्यक्तियों द्वारा दिया गया दान जोकि ट्रस्ट के मुख्य उददेश्यों के विरूद्ध न हो।

(3) ट्रस्ट के संस्थानों द्वारा ली गयी शैक्षिक फीस।

(4) ट्रस्ट द्वारा अपने उददेश्यों की पूर्ति हेतु कराये गये कार्यक्रमों से प्राप्त दान तथा आय।

(5) ट्रस्ट की निधियों के निवेश से प्राप्त आय।

(6) सरकारी, गैर–सरकारी स्वायत्त संस्थाओं, व्यापारिक संस्थाओं से प्राप्त दान, अनुदान, उपहार, नकद अथवा किसी भी प्रकार की सम्पत्ति इत्यादि।

(7) अन्य आय।

5. <u>प्रबन्धन</u>

(1) ट्रस्ट का संचालन बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा किया जायेगा जिसके प्रथम आजीवन सदस्य उपरोक्त दिये हुये संस्थापक व ट्रस्टी होंगे।

(2) बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की सदस्य संख्या न्यूनतम 2 (दो) व अधिकतम 10 (दस) होगी

(3) यदि कोई सदस्य ट्रस्ट के मुख्य उददेश्यों के विरूद्ध कार्य करेगा तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को अधिकार होगा कि बहुमत के आधार पर उसे आयोग्य घोषित कर निष्कासित कर दिया जाये। ऐसे निर्णय पर अध्यक्ष एवम् सचिव की सहमति आवश्यक एवम् निर्णायक होगी। किन्तु किसी भी परिस्थितियों में बोर्ड आफ ट्रस्टी संस्थापक (अध्यक्ष) एवं प्रथम ट्रस्टी (सचिव) को निष्कासित नहीं कर सकेगा।

SEAL OF

EAST DISTT. DELHI

(4) ट्रस्ट के कार्यों के प्रबन्ध से सम्बन्धित सभी निर्णय बहुमत के आधार पर किये जायेंगे। किसी भी विवाद की अथवा असहमति की स्थिति में अध्यक्ष एवम् सचिव का संयुक्त निर्णय अन्तिम एवम् सर्वमान्य होगा।

(5) यदि कोई ट्रस्टी ट्रस्ट से पृथक होना चाहे तो बोर्ड आफ ट्रस्टी बहुमत के आधार पर उनका त्याग–पत्र स्वीकार कर सकेगा एवं उनके रिक्त स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का नामांकन कर सकेगा। ऐसे निर्णय पर अध्यक्ष एवं सचिव की सहमति अनिवार्य होगी।

(6) बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक के लिये सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 (दो) अथवा सम्पूर्ण सदस्यों की संख्या का एक तिहाई, दोनों में से जो भी अधिक हो, होगी।

(7) विशेष परिस्थिति में किसी भी प्रस्ताव का निर्णय सदस्यों को लिखित रूप में प्रस्ताव भेजकर किया जा सकता है। ऐसे सभी लिखित प्रस्तावों पर आधे से अधिक सदस्यों की सहमति से वह प्रस्ताव सुचारू रूप से पारित किया माना जायेगा। परन्तु ऐसे सभी प्रस्तावों पर अध्यक्ष एवम् सचिव की सहमति अनिवार्य होगी।

6. <u>ट्रस्टी एवम् उनकी नियुक्ति</u>

(1) ट्रस्ट के संस्थापक एवम् उपरोक्त ट्रस्टी ट्रस्ट के प्रथम आजीवन ट्रस्टी होंगे।

(2) उपरोक्त दोनों को यह अधिकार होगा कि वह आपसी सहमति से समाज के अन्य गणमान्य व्यक्तियों को किसी भी समय ट्रस्ट का ट्रस्टी बनने के लिये आमन्त्रित कर सकते हैं।

Secretary

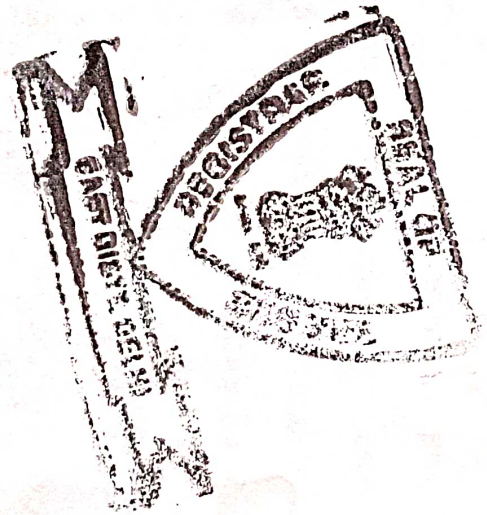

7. ट्रस्ट

(1)

7. **ट्रस्ट की कार्यकारिणी**

(1) ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्ट के आजीवन अवैतनिक अध्यक्ष होंगे।

(2) ट्रस्ट के प्रथम ट्रस्टी, ट्रस्ट के आजीवन अवैतनिक सचिव होंगे।

8. **अध्यक्ष के कार्य एवम् अधिकार**

(1) ट्रस्ट के अन्तर्गत स्थापित संस्थानों के मुख्य कार्यधिकारी, निदेशक एवम् अन्य कार्मिकों की नियुक्ति बोर्ड के निर्देशानुसार करना।

(2) बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठकों की अध्यक्षता करना।

(3) विषय सूची के बाहर कोई भी प्रस्ताव रखने की स्वीकृति प्रदान करना।

(4) ट्रस्ट की तरफ से इकरारनामा करना।

9. **सचिव के कार्य एवम् अधिकार**

(1) ट्रस्ट को सुचारू रूप से चलाने का उत्तरदायित्व सचिव पर होगा।

(2) बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की अथवा उसकी समिति, उपसमितियों की बैठक बुलाना एवम् उन बैठकों में उपस्थित रहकर उनका ब्यौरा रखना।

(3) बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के समस्त प्रस्तावों को कार्यवाही रजिस्टर में लिखना एवम् भविष्य की योजनाओं से बोर्ड को अवगत कराना एवम् उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करना।

(4) आय व्यय का लेखा रखना तथा अंकेक्षण कराकर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को प्रस्तुत करना।

(5) संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति के कागजात रखना और उसकी देख–भाल करना।

(6) (7)

SEAL OF REGISTRATION

EAST DISTT. DELHI

(6) संस्था की तरफ से इकरारनामा करना।

(7) संस्था की तरफ से पत्रव्यवहार करना एवम् न्यायालय सम्बन्धी कार्य देखना।

10. <u>बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के कार्य एवम् अधिकार</u>

(अ) सभी सैद्धान्तिक निर्णय बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा बहुमत के आधार पर किये जायेंगे। असहमति अथवा विवाद की स्थिति मे अध्यक्ष एवम् सचिव का संयुक्त निर्णय अन्तिम एवम् सर्वमान्य होगा।

(ब) <u>उपरोक्त सामान्य अधिकारों के अलावा बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को निम्न अधिकार होंगे:</u>

(1) सचिव द्वारा प्रस्तुत किये गये आय–व्यय के लेखों को अपनी स्वीकृति प्रदान करना।

(2) ट्रस्ट के उददेश्यों की प्राप्ति हेतु किये गये व्ययों की स्वीकृति प्रदान करना।

(3) ट्रस्ट के कार्य हेतु नियम व उपनियमों की रचना करना एवम् समय–समय पर उनमें परिवर्तन, परिवर्धन अथवा संशोधन करना।

(4) आवश्यकता पडने पर विशेषज्ञ, सलाहकार अथवा कर्मचारियों की नियुक्ति करना एवम् उनके अधिकारों को परिभाषित करना।

(5) ट्रस्ट के संचित निधियों को आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार ट्रस्ट के धन को जो तुरन्त अपेक्षित न हो, प्रतिभूतियों या अन्य किसी रीति से निवेश हेतु अध्यक्ष एवम् सचिव को निर्देशित करना।

(6) बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि ऐसे किसी भी दान, सहायता, चाहे यह सहायता नकद अथवा चल–अचल सम्पत्ति के रूप में हो, को स्वीकार कर सकता है परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार की कोई

सहायता अथवा दान ट्रस्ट के उददेश्यों एवम् मूल सिद्धान्तों के विपरीत न हो, ट्रस्ट के कोष में अतिरिक्त धन होने पर राष्ट्रीयकृत बैंक में ही जमा किया जायेगा तथा चल व अचल सम्पत्ति जो ट्रस्ट को प्राप्त होगी उसे अधिकृत रूप से प्राप्त किया जायेगा तथा उसे आवश्यकतानुसार उचित मूल्य मिलने पर हस्तान्तरण किया जा सकेगा।

(7) ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति हेतु भूमि अथवा अन्य चल–अचल सम्पत्ति का अर्जन करना एवम् उस पर भवन तथा अन्य सुविधाओं का निर्माण करना।

(8) ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति के लिये अध्यक्ष व सचिव द्वारा किये गये खर्चो की अनुमति प्रदान करना व उनका भुगतान करना।

(9) संस्था की आवश्यकताओं अनुसार बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करना एवम् ऋण प्राप्त करने की प्रतिभूती हेतु ट्रस्ट की सम्पत्तियों को बन्धक रखना।

(10) बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वो ट्रस्ट के उददेश्यों की प्राप्ति हेतु किये जाने वाले समस्त कार्य आवश्यकतानुसार कर सकें।

(11) ट्रस्ट की अतिरिक्त चल अचल सम्पत्ति को उचित मूल्य पर स्थानान्तरित करना।

(12) ट्रस्ट को चलाने के लिये कोई समिति, उपसमिति, विशेषज्ञ और परामर्शीय या व्यक्ति या अभिकर्ता या अटॉर्नी, जो वह आवश्यक समझे ऐसे पारिश्रमिक पर या उसके बिना और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तो पर जो वह उचित समझें नियुक्त करना और ट्रस्ट के उददेश्यों को क्रियान्वित करने के लिये ऐसे व्यय करना और इस प्रायोजन के लिये किसी सदस्य को नियुक्त करने और प्रतिपूर्ति करने की शक्ति सहित ऐसी समस्त शक्तियों से उसे विनिहित करना।

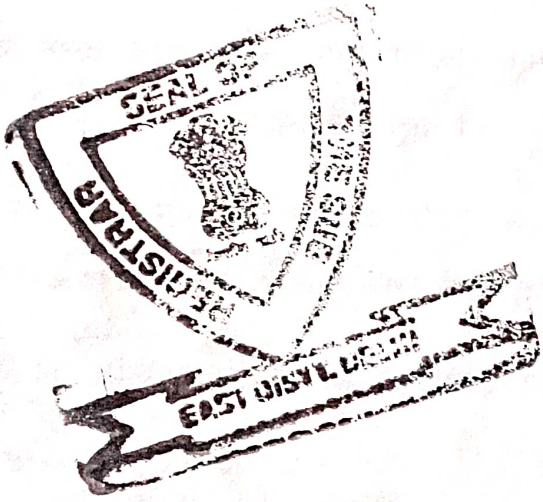

SEAL OF
REGISTRAR
EAST DISTT. DELHI

(13) न्यायालय में या उसके बाहर समस्त वाद, कार्यवाही और अन्य कार्यवाहियों को संस्थिति करना, अभियोजित करना, प्रतिरक्षा करना, तय करना, समझौता करना या प्रश्मन करना और सब मत–भेद और मागें तय करना और ऐसा कोई या समस्त वाद, कार्यवाही या अन्य कार्यवाहियां, मत–भेद और मांगे मध्यस्त को निर्दिष्ट करना। और ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी लेखों का समायोजित करना, तय करना और उनसे सम्बन्धित सभी कार्य करना।

11. <u>ट्रस्ट के नियम</u>

(1) बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मिटिंग की अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे अथवा उनकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता सचिव करेंगे।

(2) बोर्ड की मिटिंग प्रत्येक तीन माह में एक बार होगी। बोर्ड की बैठक के लिये न्यूनतम दो सदस्य अथवा कुल सदस्यों का एक तिहाई (1/3) जो भी अधिक होगा, की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(3) ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

(4) बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के प्रत्येक सदस्यों को एक वोट होगा।

(5) विशेष परिस्थितियों में बैठक में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव डाक द्वारा सभी सदस्यों को वितरित किया जायेगा। ऐसे प्रस्ताव के पारित माने जाने वाले हेतु कम से कम आधे सदस्यों एवम् अध्यक्ष तथा सचिव की अनुमति आवश्यक होगी।

12. <u>बैंक खाता</u>

ट्रस्ट के कोष के लिये किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाते खोलें जायेगें। यह खातें आवश्यकतानुसार निश्चित अवधि के लिये, चालू खाता अथवा सावधि खाता किसी भी रूप में खोले जा सकते हैं। इन खातों का संचालन अध्यक्ष एवम् सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

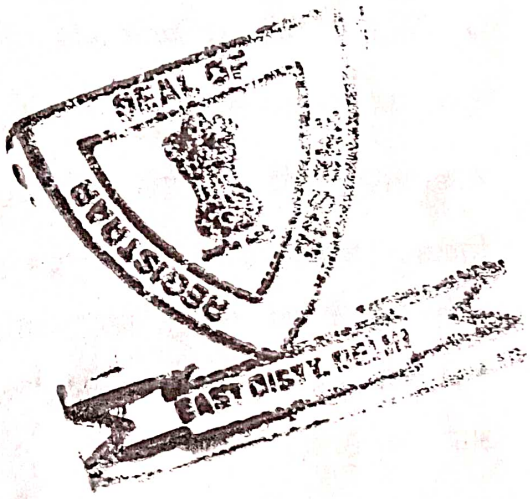

SEAL OF SUB REGISTRAR
EAST DISTT. DELHI

13. ऋण व्यवस्था

बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को अधिकार होगा कि ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति हेतु समय–समय पर आवश्यकतानुसार बैंक, वित्तीय संस्थाओं अथवा अन्य किसी व्यक्ति से ऋण स्वीकृत कराये जायें एवम् इनकी प्रतिभूति के लिये ट्रस्ट की चल–अचल सम्पत्ति को बन्धक रखे।

14. लेखा एवम् अंकेक्षण

(1) ट्रस्ट के खाते व अन्य अभिलेख सचिव द्वारा नियमित रूप से रखे जायेंगे। सचिव की यह जिम्मेदारी होगी कि वह विधि सम्मत वार्षिक लेखे तैयार करके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को प्रस्तुत करे।

(2) ट्रस्ट के वार्षिक लेखे प्रतिवर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षित किये जायेंगे एवम् अंकेक्षण का व्यय ट्रस्ट द्वारा वहन किया जायेगा।

15. समापन

(1) ट्रस्ट के सदस्य किसी स्थानीय क्षेत्र या क्षेत्रों में किसी अन्य ट्रस्ट, संस्था या धर्माथ संस्था को जिसके उददेश्य इस विलेख के उददेश्यों के समान हैं, इस आशय और प्रभाव के साथ कि ऐसा अन्य ट्रस्ट, संस्था या धर्मार्थ संस्था इस विलेख द्वारा संजिल न्यास का अनिवार्य अंक माना जायेगा। इस विलेख द्वारा संजिन इस न्यास के साथ सभा में लिप्त करने के लिये अनुज्ञात करने और मंजूरी देने हेतु स्वतन्त्र होंगे। परन्तु ऐसी कोई भी शतें स्वीकार नहीं की जायेंगे जिनमें इन ट्रस्ट के नाम में परिवर्तन अर्न्तवलित हो या जो ट्रस्ट के उददेश्यों से असंगत या प्रतिकूल हों।

(2) यदि किसी कारणवश यह ट्रस्ट समाप्त हो जाता है तब ऐसी दशा में ट्रस्ट की सभी सम्पत्ति जो भी दायित्व या देन–दारी के बाद बच जाती है वह ट्रस्टियों को न बांटकर बल्कि किसी ऐसी ही संस्था या ट्रस्ट को जिसके उददेश्य इस ट्रस्ट के अनुरूप हों, सौंप दी जायेगी।

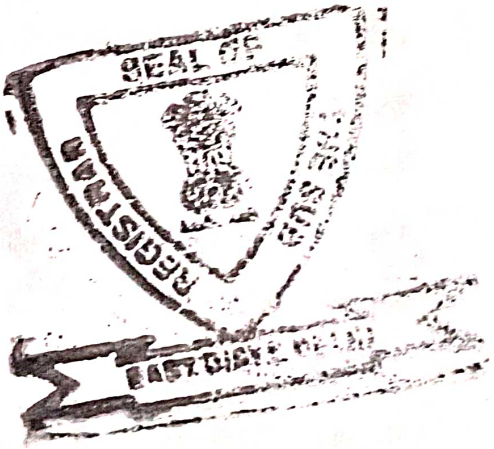

SEAL OF
REGISTRAR
EAST DISTT DELHI

अतः मैनें अपनी सही सेहत व सही दिमागी हालत में खूब सोच व समझकर इस ट्रस्ट विलेख को लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

दिनांक : 07.07.2008

स्थान : दिल्ली

(संस्थापक)

VIPIN-Sangal

गवाह :– PAN- BCYPS6394A

1. Mr. Vipin Sangal
S/o Sh. Mukesh Sangal
R/o 37, Rail Park,
Shamili (UP)

2.

Chandra Prakash Srivastva
Advocate
Reg. No. D/738/1976
Bar Council of Delhi
Shastri Nagar, Delhi-31

Drafted by
C. P. SRIVASTAVA
Advocate

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
6562	2008-2009	4

Ist Party न्यासकर्ता

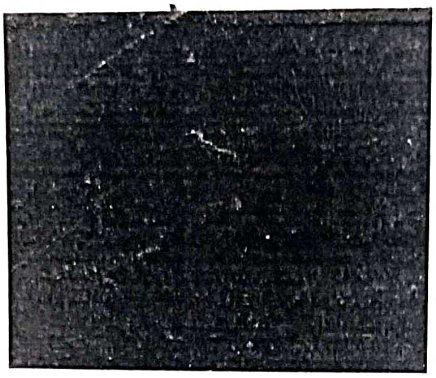

IInd Party न्यासी

Witness गवाह

Ist Party

IInd Party

Ist Party न्यासकर्ता :- Rajeev Kumar

IInd Party न्यासी :-

Witness गवाह Vipin Sangal, C.P. Srivastav

Certificate (Section 60)

Registration No.6,562 in additional Book No.4 Vol No 2,769 on page 46 to 57 on this date 07/07/2008 day Monday and left thumb impressions has/have been taken in my presence.

Sub Registrar
Sub Registrar VIII
New Delhi/Delhi

Date 07/07/2008

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

K 527429

दिल्ली DELHI

पूरक न्यास विलेख

प्रतिबन्धः–

क. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

ख. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

ग. विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निधारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

घ. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी, और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बन्द्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

ङ. संस्था द्वारा शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

आगे पेज.......2.....पर

RegNo. 1896

Date 19/02/201

Deed Related Detail

Deed Name TRUST	SUPPLEMENTARY TRUST
Land Detail	
Tehsil/Sub Tehsil Sub Registrar VIII	Area of Building 0 वंग फुट
Village/City Jagat Puri	Building Type
Place (Segment) Jagat Puri	
Property Type Residential	
Area of Property 0.00	0.00 0.00
Money Related Detail	
Consideration Value 0.00 Rupees	Stamp Duty Paid 100.00 Rupees
Value of Registration Fee 3.00 Rupees	Pasting Fee 1.00 Ruppes

15 FEB 2010

This document of TRUST SUPPLEMENTARY TRUST

Presented by: Sh/Smt. Rajeev Garg S/o. W/o Raviner Kr Garg R/o F-6A/16A jagatpuri Delhi

in the office of the Sub Registrar, Delhi this 19/02/2010 day Friday between the hours of

Signature of Presenter

Registrar/Sub Registrar
Sub Registrar VIII
Delhi/New Delhi

Executed and presented by Shri /Ms. Rajeev Garg

and Shri / Ms. .

Who is/are identified by Shri/Smt/Km. Vipin Sangal S/o W/o D/o Mukesh Sangal R/o 37 Rail Park Shamili U.P.

and Shri/Smt./Km C.P. Srivastava S/o W/o D/o adv R/o 205 Shastri Nagar Delhi

(Marginal Witness). Witness No. II is known to me.
Contents of the document explained to the parties who understand the conditions and admit them as correct.
Certified that the left (or Right, as the case may be) hand thumb impression of the executant has been affixed in my presence

Registrar/Sub Registrar
Sub Registrar VIII
Delhi/New Delhi

Date 19/02/2010

च. कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

छ. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निगत आदेश किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी ।

ज. विद्यालय का रिकार्ड निधारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा यदि हॉ तो अपना प्रबन्धधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करे कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रबिन्ध क्रम 1 से 8 तक स्वीकार है ।

यह विलेख मेरी पूर्व रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड के साथ जोड़ दिया जाये जो कि 07.07.2008 को सब रजिस्ट्रार VIII के पास रजिस्ट्रर्ड हुई है जिसका रजिस्ट्रेशन न0 है 6562 ओर बुक न0 है 4, पेज न0 है 46 से 57 वोल्यूम न0 है 2769 ।

अतः मैने अपनी सही सेहत व सही दिमागी हालत में खूब सोच व समझ कर इस ट्रस्ट विलेख को लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे ।

दिनांक– 19.02.2010
स्थान– दिल्ली,

ग्वाहः– VIPIN-Sangal
PAN-BCYPS6394-A
MR. VIPIN SANGAL
S/O SH. MUKESH SANGAL
37, RAIL PARK
SHAMILI (UP)

संस्थापक

राजीव गर्ग S/O श्री रविन्द्र कुमार गर्ग
F16A/16A, नवीन पुरी पड़वाना रोड
दिल्ली -51

Chandra Prakash Srivastva
Advocate
Reg. No D/766/1996
Bar Council of Delhi
205, Shastri Nagar, Delhi-31

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
1896	2010-2011	4

Ist Party न्यासकर्ता

IInd Party

Witness गवाह

Ist Party

IInd Party

Ist Party न्यासकर्ता :- Rajeev Garg

IInd Party न्यासी :-

Witness गवाह Vipin Sangal, C.P. Srivastava

Certificate (Section 60)

Registration No.1,896 in additional Book No.4 Vol No 3,308
on page 86 to 87 on this date 19/02/2010 day Friday
and left thumb impressions has/have been taken in my presence.

Sub Registrar
Sub Registrar VIII
New Delhi/Delhi

Date 19/02/2010